मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
==0==

क्रमांक एफ-बी-9/4/81/नि-2/-चार भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर, 1981
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- सामान्य भविष्य निधि के गुमशुदा रकमों के निराकरण हेतु कार्यवाही।

शासकीय कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों के गुमशुदा रकमो के निराकरण हेतु महालेखाकार कार्यालय व्दारा जिला स्तरों पर आडिट पार्टियां भेजकर उन्हे ठीक करने की कार्यवाही की जाती है। इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जा सके इस उद्देश्य से महालेखाकार कार्यालय व्दारा यह व्यवस्था की गई है कि अंशदाता के भविष्य निधि खाते में जो गुमशुदा credits/debits की रकमें थी, उस आधार पर प्रत्येक अंशदाता के लिये पृथक-पृथक पत्रक तैयार कर इसे आदान एवं संवितरण अधिकारी की ओर संबंधित अंशदाता को वितरित करने हेतु महालेखाकार व्दारा भेजा गया है। इस पत्रक में वे माह दर्शाये गये है जिनमें credits/debits गुमशुदा है। पत्रक भेजते हुवे महालेखाकार व्दारा आदान अधिकारियों को यह भी निवेदन किया गया है कि वे इन गुमशुदा रकमों के विवरण एकत्रित कर उनके व्दारा भेजे गये प्रपत्र में भरकर उन्हें शीघ्र भेजें।

2/ महालेखाकार ने यह भी व्यक्त किया है कि इसके प्रत्युत्तर में आदान अधिकारियों व्दारा कोई सूचना नहीं दी जाती जिससे इस योजना का वांछित फल नहीं मिल पाता तथा यह भी संदेह उत्पन्न होता है कि महालेखाकार व्दारा भेजे गये गुमशुदा रकमों के ये पत्रक संबंधित अंशदाता को वितरित कर उनके विवरण (details) एकत्रित करने की कार्यवाही प्रारंभ भी हुई है या नहीं। शासकीय कर्मचारियों के खातो को सुव्यवस्थित करने के लिये महालेखाकार व्दारा जो कार्यवाही की जा रही है वह भविष्य निधि खातों में निर्मित त्रुटियां दूर करने में बहुत उपयोगी सिध्द होगी बशर्ते आदान एवं संवितरण अधिकारी इस कार्य में अधिकतम सहयोग प्रदान कर वांछित जानकारी महालेखाकार को शीघ्रातिशीघ्र भेजे।

3/ अत: एतद्व्दारा आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ समस्त आदान एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित करें कि यदि महालेखाकार व्दारा भेजे गये गुमशुदा रकमों के पत्रक संबंधित अंशदाता को वितरित नहीं किये गये है तो तुरन्त वितरित किये जाये एवं उसके डिटेल्स एकत्रित कर शीघ्रातिशीघ्र उन्हे वापिस किये जाये।

(रणवीर सिंह)
उप सचिव।

क्रमांक एफ-बी-9/4/81/नि-2/-चार भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर, 81
प्रतिलिपि महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर की ओर उनके अर्धशासकीय पत्र क्रमांक Fd-I/58 दिनांक 18/8/81 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

(रणवीर सिंह)
उप सचिव।

1491।